न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 204 / 2024

अनवान : –

1. रूकमा पुत्री हरिसिंह पत्नी सतनाम जाति जाट निवासी लालपुरा तहसील रावतसर।

– सायला

बनाम्

1. अमरजीत पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र हरिसिह जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
3. कान्ता पुत्री हरिसिंह पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी देहीड़ तहसील भटटू जिला फतेहाबाद हरियाणा।
4. प्रेम कुमार पुत्र हरिसिह जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
5. प्रेमजीत पुत्र जयपाल जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
6. प्रियंका पुत्री जयपाल जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
7. सुमित्रा पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
8. लिछमा पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
9. सोना पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 212(2)(1) आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**
2. श्री कुलदीप खुडिया अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 20/02/2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की सायला ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थाश काश्तकार अधिनियम की धारा 212 (2)(1) के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 18 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 183 / 181 की कुल 1.7710 सायल व गैरसायलान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका है एवं गैरसायलान ने सायला की भूमि पर कब्जा कर रखा है तथा वादीया का हिस्सा पैतृक है सायला वाद भूमि को हमेशा से काश्त करती आ रही थी परन्तु गत सावणी की फसल मिस्मार करके गैरसायलान ने उक्त भूमि पर अपनी फसल काश्त कर दी है तथा सायला के हिस्से की भूमि की फसल जबरिया ले रहे है जिससे सायला को अपूर्णीय क्षति होगी एवं सायला ने न पुरा होने वाला नुकसान होगा। सायला अपने हिस्से की भूमि को स्वयं काश्त करने की हकदार है। सायला की भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.10 15:37:44 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायला स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 18 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 183 / 181 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि में

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायला का 1/7 हिस्सा भूमि का रिसिवर नियुक्त कर गैरसायलान से फसल की प्रतिभूति न्यायालय हाजा में जमा करवाई जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया की सायला का 1/7 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। सायला अपने 1/7 हिस्सा भूमि में रिसिवर नियुक्त करवा पाने की अधिकारी नही है। सायलान द्वारा अपने भाई भतीजो से अनबन होने के कारण यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो की खारिज योग्य है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया। प्रकरण मे प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार उक्त भूमि सायला व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। सायला द्वारा अपने नाम दर्ज 1/7 हिस्सा भूमि को रिसिवर नियुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। मुश्तरका खाता में विशेष हिस्सा या भाग को रिसिवर नियुक्त किया जाना संभव नही है जो की प्राकृतिक न्याया के सिद्धान्तो के खिलाफ है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप सायला का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(2)(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20/2/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.10 15:37:44 IST
Reason: SelfAttested